

उपखण्ड अधिकारी धोद

संतोष देवी यादव बनाम कमला देवी यादव

नं.

120/2025

20<sup>05</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील यादवी  
व यादवी स्वयं यमुना वकील यादवी  
व यादवी स्वयं का बार-बार  
आवाज लगाई गई, इन्टरवे बाकगुद  
-आयालय समय में सायंकाल  
तब भी इन्टर में से कोई भी  
इफस्थित नहीं होने पर पत्रावली  
इसी स्तर पर थकम हुई।  
अदम हाजिरी में आरिज क्रम  
आने के आदेश दिए जाते हैं।  
पत्रावली केवल शुभ्राद होकर बाद  
वकील कापिल दफ्तर ही।



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर